

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 अप्रैल 2016—वैशाख 8, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्र. 6605-132-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 अप्रैल 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०१६

## मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, २०१६

[ दिनांक २३ अप्रैल, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २८ अप्रैल, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई ]

## विनियोग अधिनियमों का निरसन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, २०१६ है.

विनियोग अधिनियमों का निरसन.

२. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उसके चौथे कॉलम में वर्णित की गई सीमा तक एतद्वारा निरसन किया जाता है.

व्यावृत्ति.

३. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से, किसी अन्य अधिनियमिति पर, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है, प्रभाव नहीं पड़ेगा:

और यह अधिनियम पूर्व में ही की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व पर, या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही पर या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग पर या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन पर, या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति पर या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा:

और यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम पर, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप में या अनुक्रम पर, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमशः किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा, जो कि एतद्वारा, निरसित की गई है, उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यताप्राप्त है या व्युत्पन्न है:

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से किसी अधिकारिता, पद, दायित्व अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा:

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमितियों का निरसन संपरीक्षा, परीक्षा, लेखा, अन्वेषण, जांच पर या किसी प्राधिकारी द्वारा उसके सम्बन्ध में की गई या की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाई पर प्रभाव नहीं डालेगा और ऐसी संपरीक्षा, परीक्षा, लेखा, अन्वेषण, जांच या कार्यवाई इस प्रकार की जा सकेगी और, या जारी रखी जा सकेगी मानो कि उक्त अधिनियमितियों को इस अधिनियम द्वारा निरसित ही नहीं किया गया हो.

## अनुसूची

(धारा २ देखिए)

## निरसन

| वर्ष<br>(१) | क्रमांक<br>(२) | संक्षिप्त नाम<br>(३)                         | निरसन की सीमा<br>(४) |
|-------------|----------------|--|----------------------|
| १९८०        | १७             | मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, १९८० | संपूर्ण              |
| १९८०        | १८             | मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, १९८०             | संपूर्ण              |
| १९९३        | १५             | मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, १९९३             | संपूर्ण              |
| १९९३        | १६             | मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, १९९३             | संपूर्ण              |
| १९९३        | ५८             | मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक २) अधिनियम, १९९३ | संपूर्ण              |

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्र. 6605-132-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 18 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 18 OF 2016

**THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACTS (REPEAL) ACT, 2016.**

[Received the assent of the Governor on the 23<sup>rd</sup> April, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 28<sup>th</sup> April, 2016].

**An Act to repeal Appropriation Acts.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows:—

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Acts (Repeal) Act, 2016.  | <b>Short title.</b>                  |
| 2. The enactments specified in the Schedule are hereby repealed to the extent mentioned in the Fourth column thereof.  | <b>Repeal of Appropriation Acts.</b> |
| 3. The repeal by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; | <b>Savings.</b>                      |

and this Act shall not effect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt. penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted or the proof of any past act or thing;

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed.

nor shall the repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force;

nor shall the repeal of the enactments by this Act affect the audit, examination, accounting, investigation, inquiry or any other action taken or to be taken in relation thereto by any authority and such audit, examination, accounting, investigation, inquiry or action could be taken and, or continued as if the said enactments are not repealed by this Act:—

## THE SCHEDULE

(See Section 2)

## REPEALS

| Year<br>(1) | No.<br>(2) | Short title<br>(3)  | Extent of repeal<br>(4) |
|-------------|------------|---|-------------------------|
| 1980        | 17         | The Madhya Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1980. | The whole               |
| 1980        | 18         | The Madhya Pradesh Appropriation Act, 1980                    | The whole               |
| 1993        | 15         | The Madhya Pradesh Appropriation Act, 1993                    | The whole               |
| 1993        | 16         | The Madhya Pradesh Appropriation Act, 1993                    | The whole               |
| 1993        | 58         | The Madhya Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1993.           | The whole               |